

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान, जयपुर

ब्रांचिक एफ 14(OFC)2020/एफसीए/प्रमुखसं/

दिनांक

वृक्षों के पातन एवं कार्य प्रारम्भ करने की अंतरिम स्वीकृति

जिला उदयपुर एवं वनमण्डल उदयपुर में Diversion of 0.5038 ha. of forest land in favour of BHARAT SANCHAR NIGAM LIMITED RAJASTHAN for Laying of Underground Optical Fiber Cable along the (Barapali to Khajuri road 7/407 Km), (Amarpura road 2/458 Km) (Jabla road 9/130 Km), (Sarupal road 4/440 Km) under Bharatnet Project, Block-Girwa, District-Udaipur (Rajasthan) (प्रस्ताव सं. HP/प्र.इ.01/2020/446779/2020) के निर्माण हेतु 0.5038 हेतु वनमूर्गि के प्रत्यावर्तन की संसर्त सैद्धान्तिक स्वीकृति राजसंघ सरकार, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक प. 1(136)वन/2020/07.01.2021 द्वारा जारी की गई थी। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा लीगियर प्रोजेक्ट हेतु जारी विशा-निर्देश क्रमांक 11-306/2014-एफसी दिनांक 28.08.2015 की अनुपालना में भारत सरकार द्वारा जारी उपरोक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की समस्त शर्तों के अधिकारीन प्रस्तावित क्षेत्र में शून्य वृक्षों के पातन एवं कार्य प्रारम्भ करने की अंतरिम स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान गई जारी है।

1. यह स्वीकृति, जारी करने की तिथि से 1 वर्ष के लिए मान्य होगी।
2. सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन पाये जाने पर यह अंतरिम स्वीकृति प्रत्याहरित की जा सकती है। एवं प्रयोगशाला अभिकरण के विरुद्ध वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत कार्यवाही अमल में लायी जा सकती है।
3. प्रयोगशाला अभिकरण द्वारा अंतरिम स्वीकृति अनुसार 1 वर्ष की अवधि में कार्य अपूर्ण रहने वाली स्थिति में समय रहते अभियुक्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
4. प्रयोगशाला अभिकरण द्वारा संबंधित उप वन संरक्षक के निर्देशानुसार/पर्यवेक्षण में कार्य किया जायेगा।

४०

(डॉ. डी.एन. पाण्डेय)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF)
राजस्थान, जयपुर।

ब्रांचिक एफ 14(OFC)2020/एफसीए/प्रमुखसं/ **3190-98** दिनांक **16.11.21**
प्रतिशिष्ठापी-गिराकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. निदेशक (एफसी डिवीजन), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरकाम रोड, नई-दिल्ली-110001
2. अतिथि प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, दौर्गंग नगरालय (मध्यक्षेत्र) पंचम तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगढ़, लखनऊ-226024 (उ0प्र0)
3. शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. अतिथि प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विभागीय कार्य, जयपुर।
5. अतिथि प्रधान मुख्य वन संरक्षक (पा), जयपुर को दी जाकर निवेदन है कि इस स्वीकृति की प्रति विभागीय नेबसाइट पर अपलोड कराने का अम करावें।
6. संभागीय मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर।
7. उप वन संरक्षक, उदयपुर को दी जाकर निर्देशित है कि समय-सामय पर निरीक्षण कर भारत सरकार द्वारा अधिरोपित समरत शर्तों की पालना सुनिश्चित करें।
8. उप मण्डल अभियन्ता (एच.आर.डी.), कार्यालय मदूसं, जिला उदयपुर।
9. रक्षी पत्रावली।

(डॉ. गोविन्द सागर भारद्वाज)
अतिथि प्रधान मुख्य वन संरक्षक
प्रोटोकॉल एवं नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर।